न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/576

श्योजी लाल आत्मज मिश्री लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुढागोपाल जी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू आत्मज छोगा बैरवा निवीस नन्दगॉव ।
2. सूरज्या आत्मज छोगा जाति बैरवा निवीस नन्दगॉव ।
3. कजोडी पुत्री छोगा पत्नी मंगला बैरवा निवासी जीवणपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. आवंटन परामर्शदात्री समिति जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र नारायणीबाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 11.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आंवटन नियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम नन्दगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 02 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि दिनांक 24.10.1977 को अप्रार्थी कम 1 से 3 के पिता छोगा को आवंटित हुई थी । उक्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व कोई विधिवत उद्घोषणा नहीं की गई है इसलिए उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं

रहा है । आवंटी भूमिहीन नहीं थे इसलिए उक्त आवंटन निरस्त योग्य है । आवंटी ने तथ्यों को छुपाकर उक्त भूमि का आवंटन कराया है जो निरस्त होने योग्य है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का पिछले 40 वर्षो से कब्जा है और वो उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता छोगा के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी के नाम उक्त भूमि आवंटित या नियमन करने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.06.2012 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2012 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट के पिता छोगा को किया गया था उस पर रेस्पोडेन्ट के पिता और उनके निधन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । आवंटन के पूर्व उद्घोषणा भी नहीं की गई थी । आवंटन के समय आवंटन समिति का कोरम भी पूरा नहीं था । इसलिए उक्त आवंटन कोरम के अभाव में निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2012 निरस्त फरमाया जाकर आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 को निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु दिनांक 14.06.2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 27.06.2012 को नकल दी गई जिसके बाद अपीलान्ट मियादी बुखार से पीडित हो गया और चलने–फिरने में असमर्थ हो गया था इस कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के पिता को दिनांक 24.10.1977 को

आवंटन की गई थी । इस आवंटन के खिलाफ आवंटन नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे अपीलाधीन आदेश से अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा खारिज किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का कभी कब्जा नहीं रहा है । आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है । आवंटन की कोई उद्घोषणा जारी नहीं हुई थी, कौरम पूरा नहीं था, अध्यक्ष के अलावा 03 सदस्यों का होना आवश्यक है जबकि 02 सदस्य ही मौजूद थे, तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया गया है । 15 बीघा से अधिक भूमि थी वो भूमिहीन नहीं था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 62, आरआरडी 1982 पेज 76, आरआरडी 1990 पेज 405, आरआरडी 1981 पेज 320, आरआरडी 2000 पेज 151 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन रेस्पोडेन्टगण के पिता के नाम सन् 1977 में किया गया था । आवंटन विधि सम्मत था आवंटन होने के 34 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत रूप से एवं विधि–विरूद्ध पेश किया गया है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं एवं काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट ने स्वयं को वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि एक अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं होता है । इतने लम्बे समय के बाद Fraud and misreprentation प्रमाणित होने के बाद आवंटन खारिज किया जा सकता है । तकनीकी आधारों पर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2012 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 87, आरआरडी 1989 पेज 414, आरआरडी 2009 पेज 99, आरआरडी 1998 पेज 445 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्टगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 (4) दिनांक 11.08.2011 को पेश किया है जिसमें दिनांक 24.10.1977 को रेस्पोडेन्ट के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की है । आवंटन आदेश के अनुसार आवंटी को खसरा नम्बर 02 की रकबा 10 बीघा आराजी आवंटन की गई थी । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 के अनुसार उनके गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 848/2 की 10 बीघा आराजी दर्ज है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में यह अंकित किया है कि उनके खाते में 15 बीघा आराजी दर्ज थी परन्तु ऐसी कोई नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है जिसके अनुसार आवंटी के खाते में 15 बीघा आराजी दर्ज हो । प्रार्थना पत्र 34 वर्षों बाद पेश किया गया है और इतने लम्बे समय के बाद आवंटन उन्हीं परिस्थितियों में खारिज किया जा सकता है जब

आवंटन Fraud and misreprentation से किया जाना प्रमाणित हो । तकनीकी आधार पर इतने लम्बे समय के बाद आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को अतिक्रमी बताते हुए आवंटन आदेश को चैलेंज कर रहे हैं और माननीय राजस्व मण्डल ने कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है एक अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । आरआरडी 1994 पेज 87, आरआरडी 1989 पेज 414, आरआरडी 2005 पेज 99, आरआरडी 1998 पेज 445 यहॉ चस्पा होती हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2012 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा